

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ/सहरसा/ वैशाली(हाजीपुर) ।

पटना, दिनांक:-

5-3-18

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या- 26-
उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-
2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2954 दिनांक-23.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च 2018 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	पूर्णियाँ	03	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	300000/- (तीन लाख)	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ का ज्ञापांक-108 दिनांक-05.02.2018 के आलोक में (1) स्व. विनय कुमार, आश्रित श्री खुशीलाल सिंह (पिता), ग्राम-कोशकीपुर, पंचायत-कोशकीपुर(पुरब), थाना-टीकापट्टी, अंचल-रूपौली, जिला- पूर्णियाँ (2) स्व. छोटेलाल महतो, आश्रित रंजो देवी (पत्नी), ग्राम-गोड़ियर कोठी, थाना-टीकापट्टी, अंचल-रूपौली, जिला-पूर्णियाँ (3) स्व. पिंदुश कुमार मंडल, आश्रित कारी देवी (माता), एवं जर्नादिन मंडल, ग्राम-लहरौनी, पो0+थाना+अंचल-रूपौली, जिला-पूर्णियाँ के भुगतान हेतु।
2	सहरसा	03	तदैव	300000/- (तीन लाख)	जिला पदाधिकारी, सहरसा का पत्रांक-109,110 एवं 111 दिनांक-03.02.2018 के आलोक में (1) स्व. सीताराम यादव, आश्रित मसो0 सुखिता देवी (पत्नी) ग्राम-सहसराम, पो0-धौघनपट्टी,थाना-सौरबाजार, अंचल-पतरघट, जिला- सहरसा (2) स्व. अमिताभ कुमार सिंह, आश्रित मसो0 पूजा कुमारी(पत्नी) ग्राम+पो0-धबौली, वार्ड नं0-04, थाना- सौरबाजार, जिला- सहरसा (3) स्व. बिक्रम प्रसाद सिंह, आश्रित-मसो0 डिम्पल देवी (पत्नी) ग्राम+पो0-धबौली, थाना-सौरबाजार, अंचल-पतरघट, जिला-सहरसा के भुगतान हेतु।
3	वैशाली (हाजीपुर)	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, वैशाली का पत्रांक-181 एवं 184 क्रमशः दिनांक-07.02.18 एवं 08.02.2018 के आलोक में (1) स्व0 जितेन्द्र राय, आश्रित मु. रेखा देवी (पत्नी), ग्राम-चकमहदीन, पो0+थाना+प्रखण्ड-जन्दाहा, जिला- वैशाली (2) स्व0 नीरज कुमार ठाकुर, आश्रित मु. शिव कुमारी (माता), ग्राम+पो0-खोपी, थाना-जन्दाहा, जिला- वैशाली के भुगतान हेतु।
	कुल	08		800000/-	

कुल आवंटित राशि ₹ 8,00,000/- (₹ आठ लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि. दिनांक- 26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा ।
7. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
गोपाल मीणा
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0- *162* पटना, दिनांक *5-3-18*
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

गोपाल मीणा
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0- *162* पटना, दिनांक- *5-3-18*
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.स.प्रे.सं.-85(श्रम पक्ष) दिनांक-26.02.2018/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा ।

गोपाल मीणा
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-307/17 श्र0सं0- *162* पटना, दिनांक *5-3-18*
प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

गोपाल मीणा
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।